



कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी  
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
छावनी परिषद पचमढ़ी



MINISTRY OF DEFENCE, GOVERNMENT OF INDIA

क्र./62/एस0आई0/1770-1785

दिनांक:- 05/07/2022

अधिसूचना  
भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय)  
छावनी परिषद पचमढ़ी

छावनी परिषद पचमढ़ी द्वारा आम जन को सूचित किया जाता है कि 01 जुलाई 2022 से भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक/100 माइक्रॉन से कम का प्लास्टिक जैसे (प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक कटलरी, प्लास्टिक स्ट्रॉ एवं पैकिंग पन्नी जैसे-इन्वीटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स एवं प्लास्टिक स्टिक्स जैसे-बलून की स्टिक, झण्डे की स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक एवं प्लास्टिक बैनर 100 माइक्रॉन से कम को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अतः छावनी क्षेत्र के सभी प्लास्टिक उत्पादको एवं विक्रेताओ को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त प्रतिबंधित वस्तुएँ आपके प्रतिष्ठान में पाई जाती हैं तो आपके विरुद्ध छावनी अधिनियम 2006 की धारा 289 के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना या 06 माह कारावास का प्रावधान है।

रमेश. एन.भा.र.सं.से.  
मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद पचमढ़ी

प्रतिलिपि :-

01. श्री पंकज जायसवाल, उपाध्यक्ष  
छावनी परिषद पचमढ़ी।
02. श्री गोपालदास काबरा, पार्षद  
छावनी परिषद पचमढ़ी।
03. श्री हुजेफा दाउदी, पार्षद  
छावनी परिषद पचमढ़ी।
04. श्रीमति लक्ष्मी राय, पार्षद  
छावनी परिषद पचमढ़ी।
05. श्री प्रशांत सिंहोते, पार्षद  
छावनी परिषद पचमढ़ी।
06. श्रीमति सरिता सल्लाम, पार्षद  
छावनी परिषद पचमढ़ी।
07. श्री संजय लेडवानी, पार्षद  
छावनी परिषद पचमढ़ी।
08. श्री अभ्युदय अग्रवाल  
छावनी परिषद पचमढ़ी। :-

सूचनार्थ प्रेषित।

कृपया छावनी परिषद की वेबसाईट पर अपलोड करे।

09. छावनी परिषद कार्यालय सूचना पटल।
10. बस स्टेण्ड सूचना पटल।
11. जवाहर चौक सूचना पटल।
12. गांधी चौक सूचना पटल।
13. पण्डित टी स्टाल सूचना पटल।
14. न्यू कॉम्पलेक्स सूचना पटल।
15. राजू टी स्टाल सूचना पटल।
16. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण  
पचमढ़ी।

चस्पा हेतु

→ सूचनार्थ रूप में आकरायत अधिकारी हेतु।